

प्ररूप अ.डि.-35

अपील बोर्ड के विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय को आवेदन

(धारा 53 (1) नियम 91)

अभिन्यास डिज़ाइन सं. \_\_\_\_\_ के मामले में, रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम  
रजिस्टर में यथाप्रविष्ट पता \_\_\_\_\_

मैं/हमें \_\_\_\_\_ अभिन्यास डिज़ाइन अपील बोर्ड सं. के विनिश्चय/आदेश  
तारीख \_\_\_\_\_ के विरुद्ध, प्रस्तुत करता हूँ /करते हैं।

अपील के आधार निम्नवत् हैं \_\_\_\_\_  
आज तारीख \_\_\_\_\_ मास \_\_\_\_\_ 2000

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

सेवा में,

रजिस्ट्रार

स्थित उच्च न्यायालय<sup>2</sup>

1. जो लागू न हो उसे काट दें।
2. समुचित उच्च न्यायालय के स्थान का नाम लिखें।